कंपनियों के संबंध में लिये जाने की आवश्यकता है, के शीघ्र निर्धारण के उद्देश्य से रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम (एस आई सी ए) 1985 बनाया तथा औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बी आई एफ आर) स्थापित किया था। 133 सूती/मानव-निर्मितवस्त्रमिलों, जो विगत दो वर्षों के दौरान बंद थीं, में से 54 मिलों के मामले 31.197 की स्थिति अनुसार बी आई एफ आर के पास पंजीकृत हैं। इन मामलों की जांच बी आई एफ आर द्वारा विभिन्नस्तरों पर की जा रही है तथा बी आई एफ आर के निष्कर्षों को ध्यान में रख कर कार्रवाई की जाएगी।

Cotton purchase from mandies

1921. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the prrocedure being followed for the purchase of cotton from the mandies; and

(b) whether the procurement prices is fixed, based on the quality of cotton; and if so, the manner in which the quality thereafter varified?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) Cotton is marketed in India mostly in the form of kapas (seed cotton). Kapas is brought to the yards of Agricultural Produce Market Commitees (APMC) by the growers for sale. In the APMC market, the auction of kapas is arranged by APMC, and different buyers participate in the auction.

(b) Yes, Sir. The purchase prices of cotton are arrived at by bidding basically on the basis of quality of cotton which arrives in the market yards. Quality disputes, if any, are resolved through the market committees.

गुजरात में नये कपास खरीद केन्द्र

1922. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात में भारतीय कपास निगम के नये कपास खरीद केन्द्र खोलने का कोई अनुरोध मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य द्वारा निर्यात की गई कपास की कुल मात्रा क्या है; और

(ङ) इन केन्द्रों को कब तक खोलने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) से (ग) और (ङ) भारत सरकार को गुजरात में भारतीय कपास निगम (सी०सी०आई०) के नए कपास अधिप्राप्ति केन्द्र खोलने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि सी०सी०आई० को लिम्बडी, चुडा, सुरेन्द्रनगर, घनगधा, परदी, लातर, पुली, दसद, धन्दुका तथा माडप केन्द्रों में खरीद करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। माडप, पुली तथा दसद को छोड़कर, सी०सी०आई० अन्य केन्द्रों में पहले ही कार्य कर रहा है। सी०सी०आई० गुजरात मे अहमदाबाद तथा राजकोट में अपने दो शाखा कार्यालयों के माध्यम से कार्य कर रहा है तथा इसके राज्य में कुल 28 खरीद केन्द्र हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य सहकारी कपास परिसंघ लि० द्वारा निर्यात की गई कपास की कुल मात्रा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	निर्यात लाख गांठ में प्रत्येक गांठ 170 कि०ग्रा०
1993-94	—
1994-95	0.003
1995-96	0.51785
(20-2-97 की स्थिति अनुसार	